

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू  
रामसागर बनाम भंवरलाल वगै०  
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा  
प्रकरण संख्या 20 सन् 2021

LCMS  
2021/58

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
12.03.21	<p>अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि भूमि आराजी ख०न० 36, 37, 133, 413, 493, 505 कुल किता 06 कुल रकबा 10-06 बीघा अर्थात् 2.6048 हैक्ट. भूमि ग्राम दौताना, पटवार हल्का जौला भू.अ.नि. सोहेला, तह० पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात हैं। प्रार्थी और अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं और सगे भाई भतीजे है। प्रार्थी को अपने रोजगार हेतु अक्सर बाहर आना जाना पड़ता है। जिसकी वजह से अप्रार्थीगण ही संयुक्त रूप से उक्त वर्णित आराजीयात को काशत करते एवं करवाते है। प्रार्थी ने जब कभी भी अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराने हेतु कहा तो उन्होने सदैव टालम टोली की और प्रार्थी को आराजी में जाने से रोका और अपने हिस्से की आराजी पर प्रार्थी को कब्जा प्राप्त नहीं करने दिया है जब कभी भी प्रार्थी आराजी की सार संभाल करने जाता था तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को आराजी में प्रवेश करने से रोका जाता रहा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।</p> <p>हमने बहस प्रार्थी एक तरफा सुनी। दौराने बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। प्रार्थी को अपने रोजगार हेतु अक्सर बाहर आना जाना पड़ता है। जिसकी वजह से अप्रार्थीगण ही संयुक्त रूप से उक्त वर्णित आराजीयात को काशत करते एवं करवाते है। प्रार्थी ने जब कभी भी अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराने हेतु कहा तो उन्होने सदैव टालम टोली की और प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर प्रार्थी को कब्जा प्राप्त नहीं करने दिया है जब कभी भी प्रार्थी आराजी की सार संभाल करने जाता था तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को आराजी में प्रवेश करने से रोका जाता रहा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।</p> <p>प्रकरण में प्राइमाफेसीयो केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण उक्त वर्णित आराजी में सहखातेदार है। अतः प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 06 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखें तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजी का उपयोग उपभोग करने में मजामहत नहीं करें यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 30.03.2021 को पेश हो।</p>	1187-92 12.03.21

C:\Users\user\Desktop\sdo office\Court\Stay.docx

उप खण्ड अधिकारी  
पीपलू (टोंक)

30/05 पत्रावली पेश हुई। बकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली को  
इसपर तलवी के दिनांक 18.05.2021 को पेश हो।

18/05 पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण/कोषि  
पर होने से दिनांक 20.07.2021 को पेश हो  
Ram

20/07 पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण/कोषि  
पर होने से दिनांक 07/09/21 को पेश हो  
Ram

07/09 पत्रावली पेश हुई। बकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संज्या  
01 ता 05 व 07 की शामिल हो चुकी है। अप्रार्थी संज्या  
06 के समन अदम शामिल प्राप्त। अप्रार्थी संज्या 06  
की तलवी पेश हो। पत्रावली दिनांक 30.09.2021 को पेश हो।

30/09 पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण  
पर होने से दिनांक 18/11/21 को पेश हो  
Ram

18/11 पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण/कोषि  
पर होने से दिनांक 11.02.2022 को पेश हो  
Ram

11/02 पत्रावली पेश हुई। बकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संज्या 06 की  
तलवी हेतु समन तलवाना पेश हो। पत्रावली दिनांक 11.03.2022  
को पेश हो।

11/03 पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण  
पर होने से दिनांक 22.03.22 को पेश हो  
Ram

22/03 पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण  
पर होने से दिनांक 08.04.2022 को पेश हो  
Ram

**FORM No. III**  
**फॉर्म अहकाम**  
 ( विषय 26 )

आज अहकाम मुकाम  
 रामसागर बंगला मंत्रालय गज  
 किस्म मुकदमा  
 नं. 20 सन 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटिव जज	नम्बरी व तारीख अहकामों जो हुकम की तारीख में जारी हुए
08/22	पी.ओ. साहब अदकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 10-06-22 को पेश हो	Ran
10/22	पी.ओ. साहब अदकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 04/08/22 को पेश हो	Ran
04/22	पी.ओ. साहब अदकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 22/09/22 को पेश हो	Ran
02/22	पी.ओ. साहब अदकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 27/10/22 को पेश हो	Ran
27/22	पी.ओ. साहब अदकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 16-12-22 को पेश हो	Ran
16/22	पी.ओ. साहब अदकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 03-03-23 को पेश हो	Ran
03/23	अतिवक्त पर होने से दिनांक 02.05.23 को पेश हो	Ran
95/23	पी.ओ. साहब अदकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 9/6/23 को पेश हो	Ran
96/23	पी.ओ. साहब अदकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 98/7/23 को पेश हो	Ran
28/23	पत्रावली पेश हुई। समग्र तलखाना पेश लेका पत्रावली दिनांक 8-9-23 को पेश हो	Ran
08/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राचीन स्थिति/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अदकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आवेशिका अनुसार दिनांक 20-10-2021 पेश हो	Ran

क्रमांक	पत्रावली का विवरण	दिनांक
25	<p>1. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कारी/प्रवक्ता कारी/प्रवक्ता/प्री.ओ. साहय राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 22.11.12 पेश हो।</p>	
26	<p>1. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कारी/प्रवक्ता कारी/प्रवक्ता/प्री.ओ. साहय राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 22.11.12 पेश हो।</p>	
27	<p>1. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कारी/प्रवक्ता कारी/प्रवक्ता/प्री.ओ. साहय राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 16.11.12 पेश हो।</p>	
16	<p>पत्रावली पेश हुई। सामग्री तलबना पेश होकर पत्रावली दिनांक 15-3-24 को पेश हो।</p>	
15	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कारी/प्रवक्ता कारी/प्रवक्ता/प्री.ओ. साहय राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 28-05-2014 को पेश हो।</p>	
28	<p>1. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कारी/प्रवक्ता कारी/प्रवक्ता/प्री.ओ. साहय राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 21.11.12 पेश हो।</p>	
29	<p>1. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कारी/प्रवक्ता कारी/प्रवक्ता/प्री.ओ. साहय राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 29.11.12 पेश हो।</p>	

तारीख  
हुआ

हुआ या कार्यवाही का इतिहास ज्ञात

पत्रिका या तारीख  
आवृत्तियों की वृत्त  
हुआ या तारीख  
में जारी हुई

28/05/2011 पत्रावली पेश हुई। अभिवृत्त प्रार्थी उप.।  
प्रतिपक्षी की लम्बी जरिसे रजिस्ट्री की पेश  
है। पत्रावली दिनांक 06.09.2011 को पेश है।

ETP

6/24 पत्रावली पेश हुई। अभिवृत्त प्रार्थी/प्रार्थनी  
उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/  
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण  
पत्रावली आदेशिका अनुसार दिनांक  
11/09/24 पेश है।  
Ray

11/09/24 पत्रावली पेश हुई। अभिवृत्त प्रार्थी/प्रार्थनी  
उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/  
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण  
पत्रावली आदेशिका अनुसार दिनांक  
04.10.2011 पेश है।  
Ray

04/10/24 पत्रावली पेश हुई। अभिवृत्त प्रार्थी/प्रार्थनी  
उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/  
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण  
पत्रावली आदेशिका अनुसार दिनांक  
09/10/24 पेश है।  
Ray

09/10/24 पत्रावली पेश हुई। अभिवृत्त प्रार्थी/प्रार्थनी  
उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/  
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण  
पत्रावली आदेशिका अनुसार दिनांक  
23/10/24 पेश है।  
Ray

23/04/20 पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष उपस्थित। प्रतिपक्षी  
सेना 06 की ओर से अभिवृत्त प्रार्थनी के  
कुमार गुप्ता व श्री चितरत्न प्रसाद ने  
बनातनामा प्रस्तुत किया। पत्रावली वारंते  
जवाब दिनांक 26.12.2011 को पेश है।

26/12/24 पत्रावली पेश हुई वारंते जवाब पत्रावली दिनांक  
27-2-25 को पेश है।  
Ray

संज्ञक क्रमांक	वृत्त या कार्यालयीय वृत्त इतिहासिकता पत्र	नाम व तारीख अधिकार की वृत्त की तारीख में जारी
27 <sup>06</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली रेष हुई। उत्तमपत्र अधिनियम 37। पत्रावली जारी जवाब दिनांक 01.05.2015 को रेष है।	
01 <sup>05</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली रेष हुई। अधिवक्ता दामो/प्राची उत्तमपत्र/प. 20 पत्रावली राजकार्य में व्यस्त। व्यवस्था पर/संज्ञकानुसार होने के कारण पत्रावली एवं आवेशिका अनुसार दिनांक 25.10.25 रेष है। <i>Ram</i>	
26 <sup>06</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली रेष हुई। उत्तमपत्र अधिनियम के पक्षकथन अनुपस्थित होने के कारण पत्रावली बाद उत्तम पत्रावली उत्तम पत्रावली में खरिफ किया गया है। उत्तम पत्रावली में अधिकारिता नियमित नहीं होने के कारण पत्रावली उत्तम सूत्र पर खरिफ की जाती है। पत्रावली निर्दिष्ट शुमार होकर उत्तम पत्रावली हो एवं निपमानुसार नम्बर से उत्तम है।	उत्तम अधिकारी वीपलू (टॉक)